

कि 29/1/19 ईकी कार्ड - 19/1/19 गजब कार्ड क्र. 0: 27/19

दिनांक

आज्ञा पत्र

31-1-25

पत्रावली पेश। कमील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि अन्वय तिथि से पूर्व कमील से लेन रेसपोर्ट्स के रजिस्टर्ड नोटिस को लन अन्वय मागली तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत कमील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेसपोर्ट्स के रजिस्टर्ड नोटिस देना नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तर्दीब तकनील दाखिल दफतर हो।

duy

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

